न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/4438/2004/जैसलमेर

मोहम्मद खां पुत्र नेकूखां जाति मुसलमान निवासी नानणबाई तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

.....अपीलांट/वादी

बनाम

तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर

.....रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–

श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री ओ0पी0भटट, उपराजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 03–07–2019

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा अपील सं. 08/2004 में पारित किये गये निर्णय व डिक्री दिनांक 08–07–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर पोकरण के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने एक वाद अन्तर्गत

अधिनियम की धारा 88 के तहत ग्राम मोजा नानणयाई स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 192 रकबा 150 बीघा भूमि के संबंध में प्रतिवादी राज्य सरकार को पक्षकार संयोजित करते हुए पेश किया। उक्त वाद में निवेदन किया कि वादी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व कब्जाकाश्त होने के कारण उसे खातेदार घोषित किया जावे। राज्य सरकार ने उक्त दावे का जवाबदावा पेश कर अंकित कथनों को अस्वीकार किया। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 13-12-1977 के द्वारा वादी का दावा स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध जिला कलक्टर जैसलमेर ने मण्डल के समक्ष एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। राजस्व मण्डल ने उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 04-03-1986 से स्वीकार करते हुए सहायक जिला कलक्टर पोकरण द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13-12-1977 को खारिज कर दिया। राजस्व मण्डल द्वारा रेफरेंस में पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी ने माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में एक रिट याचिका मय अन्य 77 मामलों के साथ पेश की। उक्त समस्त प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक साथ सुनवाई करते हुए निर्णय 31-07-1990 पारित किया। उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में यह आज्ञा पारित की कि प्रकरण में समान कानूनी बिन्दु निहित है, अतः इन 77 याचिकायें को स्वीकार कर प्रकरण को पुनः सहायक जिला कलक्टर पोकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में विचारण न्यायालय ने वाद में पुनः विचारण करते हुए वादी का दावा स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसे स्वीकार कर लिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील पेश की, जो निर्णय दिनांक 26-02-1991 द्वारा स्वीकार कर प्रकरण को पुनः सहायक जिला कलक्टर पोकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया। प्रकरण प्रतिप्रेषित होने के बाद सहायक जिला कलक्टर पोकरण द्वारा पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र बाबत सुनवाई करते हुए स्वीकार कर वादी के वाद को पुनः नम्बर पर ले लिया। उक्त वाद का पुनः विचारण प्रारम्भ करते हुए विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर पोकरण ने निर्णय दिनांक 31-03-1995 पारित कर वादी के दावे को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी द्वारा अधीनस्थ अपीलीय

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर–जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसे निर्णय दिनांक 12–12–2002 द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण को पुनः सहायक जिला कलक्टर पोकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में विचारण न्यायालय ने वाद में नये सिरे से सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय दिनांक 05–01–2004 द्वारा वादी/अपीलार्थी का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे उन्होंने निर्णय दिनांक 08–07–2004 से खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की अपील के संबंध में बहस सुनी।

4. अपीलार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बताया कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। उनका आगे कहना है कि विचारण न्यायालय द्वारा बार–बार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा प्रतिप्रेषण होने के बाद भी निर्देशों की पालना नहीं कर वादी के दावे को पुनः खारिज कर कानूनी भूल की है। उनका तर्क है कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08–07–2004 को यह माना कि काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय काबिज होने मात्र के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। काबिज व्यक्ति का कब्जा एडमिटेड टेनेंट होना चाहिए। मौजूदा प्रकरण में वादी अपीलान्ट काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही विवादित भूमि पर काबिज था, जिसे उन्होंने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित कर दिया था, फिर भी दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने त्रुटि की है। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय ने मूल वाद में तीन तनकियात कायम की, जिसके अनुसार तनकी संख्या 1 इस प्रकार है कि आया मुदईयान का कब्जा पुश्तैनी है जिसे वादी द्वारा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करवा दिया था। इसके अतिरिक्त स्वयं वादी

द्वारा अपने बयानों में जाहिर किया कि जागीरदार महादानसिंह से काश्त हेतु आराजी ली थी व लगान जागीरदार को अदा किया जाता था। उनका यह भी तर्क है कि मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पूर्व में विचारण न्यायालय ने उनके दावे को स्वीकार किया था, किन्तु बाद में उन्होंने साक्ष्य व गवाहों के बयानों को नहीं मानकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तात्विक अनियमितता की है। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के अपास्त होने योग्य है। अन्त में उन्होंने अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08-07-2004 व सहायक जिला कलक्टर पोकरण द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05-01-2004 को अपास्त करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने बहस में कहा कि वादी विवादित आराजी पर अपना कब्जाकाश्त बतौर टीनेंट काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से लेकर आदिनांक तक निर्बाध रूप से साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। उनका आगे कहना है कि वाद के समर्थन में वादी ने किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है तथा गवाहान के बयानात में भी विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी के दावे को सिद्ध नहीं होना मानने में किसी विधि का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। सारांशतः मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन, अवलोकन एवं मूल्यांकन किया है।

7. प्रकरण की विषयवस्तु इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर के समक्ष विवादित आराजी के संबंध में मूल वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88 के तहत राज्य सरकार को प्रतिवादी पक्षकार संयोजित करते हुए दिनांक 20–10–1975 को संस्थित किया गया है। दावा दायरी की तिथि से आदिनांक तक लगभग 44 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है। एक लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी वादी के वाद का निस्तारण नहीं होना एक सुखद पहलू नहीं है। आलोच्य प्रकरण नीचली अदालतों से एक से अधिक बार प्रतिप्रेषित, खारिज या स्वीकार तथा इसमें रेफरेंस की कार्यवाही भी संस्थित हुई है।

8. हमारे द्वारा उपलब्ध पत्रावली का विधायिका की भावना के अनुसार विश्लेषण किया गया है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाहों को प्रदर्शित किया है, उनमें से कुछ गवाहानात के बयानात में विरोधाभास है कि वादी का काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व से लेकर आदिनांक तक निर्बाध रूप से विवादित आराजी पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। रेकार्ड से वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में किसी राजस्व अभिलेख को प्रदर्शित नहीं किया जाना पाया जाता है। यथा जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, लगान की रसीदें, नामान्तरकरण की प्रति तथा काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व तथा बाद की किसी भी जमाबंदी का अभाव है। जबकि पटवारी द्वारा प्रत्येक वर्ष जमाबंदी को ग्रामवासियों के समक्ष पढकर सुनाया जाता है। 44 वर्ष की अवधि में तैयार की गयी किसी भी जमाबंदी को पेश नहीं किए जाने से यह प्रमाणित होता है कि वादी का विवादित आराजी पर काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व व बाद में लगातार कब्जाकाश्त नहीं है। साराशंतः यह पाया जाता है कि वादी ने अपने वाद को किसी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कराया है तथा केवल मात्र गवाहान के बयानात के आधार पर किसी पक्षकार के हक व हकूक निर्धारित नहीं किए जा सकते।

9. विवादित आराजी पर वर्ष 1955 से पूर्व का कब्जा बहैसियत टीनेंट होना साक्ष्य के आधार पर सिद्ध करने की जिम्मेदारी पूर्णतया वादी की है। वादी ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि आराजी पर उसका कब्जा टीनेंट की हैसियत से दिनांक 15–10–1955

को था और दावा दायरी तक उसका कब्जा रहा है। यदि जागीर समय से वादी का कब्जा था तो जागीर के अभिलेख के आधार पर वादी को अपना कब्जा सिद्ध करना चाहिए था। उपलब्ध सम्पूर्ण अभिलेख का विधिक दृष्टिकोण से परीक्षण करने पर हमारी विनम्र राय में विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 में दिए गए निष्कर्ष से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है तथा मूल वाद में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05–01–2004 को पारित करने में विचारण न्यायालय द्वारा किसी विधि का उल्लंघन होना नहीं माना जा सकता। अतः मूल वाद में विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है।

10. उक्त विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत अपील को न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री से अपास्त की है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में विधि के सुसंगत प्रावधानों को उद्धरित करते हुए अपील को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने संबंधी दिए गए निष्कर्ष में किसी विधि का उल्लंघन या अपनी क्षेत्राधिकारिता का दुरूपयोग किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः हमारी सुविचारित राय में राज्य सरकार का समय एवं धन अनावश्यक रूप से खर्च करने सम्बन्धी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिया गया निष्कर्ष उचित एवं यथावत रखे जाने योग्य है।

11. विवादित आराजी बाबत दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधि सम्मत समवर्ती निर्णय पारित किए है। जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करने के कोई ठोस कारण हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि द्वितीय अपील के स्तर पर उसी प्रकरण में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए जब दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने किसी प्रकार की विधिक त्रुटि या तात्विक अनियमितता अपने निर्णय में कारित की हो। परन्तु हमारी राय में विचाराधीन प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि सम्मत है।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील निरस्त की जाकर दोनों दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाना समीचीन है।

13. परिणामतः अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा प्रदत्त निर्णय व डिक्री दिनांक 08–07–2004 व विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर पोकरण द्वारा प्रदत्त निर्णय व डिक्री दिनांक 05–01–2004 को यथावत रखा जाता है।

14. प्रकरण उपरोक्तानुसार निर्णित किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य